न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 11/13 **निर्णय दिनांकः 13.08.2018**

1. हनीफ खॉ पुत्र इब्रेखॉ जाति मुसलमान निवासी चारणासी तहसील फलोदी हाल चक 2 एमडब्ल्यूएम तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 25—03—1998
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—
1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 25—03—1998 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन में आवंटन हेतु उपनिवेशन तहसील पूगल के चक 2 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 90/54 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना

पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जॉच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र धोषित करते हुए उक्त रकबे का आवंटन भी कर दिया गया। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 25—03—1998 को उक्त रकबे को किश्तों की राशि जमा नहीं कराने के कारण व मौके पर आबाद नहीं होने के आधार खारिज कर दिया गया। जबकि अपीलांट आज दिन भी उक्त राशि जमा कराने को तैयार है। अपीलांट ने कभी भी उक्त राशि जमा कराने से इंकार नहीं किया। आवंटन पत्रावली के तहत अपीलांट को नोटिस जारी किया गया परन्तु उक्त नोटिस अपीलांट को तामील नहीं हुआ। अदालत मातहत द्वारा बिना सुने एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जिसमें अपीलांट अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलांट ने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—03—1998 के विरूद्व अपील 11—01—2013 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन किश्तों की राशि व मौके पर आबाद नहीं होने के आधार पर खारिज किया गया है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज की जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 25—03—1998 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील दिनांक 11—01—2014 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काऊन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने भूमिहीन आवंटन के तहत अदालत मातहत के समक्ष चक 2 एमडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 90/54 में 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों की जॉच के उपरान्त अपीलांट को वादगत् भूमि का पात्र धोषित करते हुए उक्त रकबे का आवंटन कर दिया गया तथा आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन बकाया किश्तें जमा नहीं कराने व मौके पर आबाद नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया।

(3) प्रकरण में अपीलांट को वादगत् भूमि के आवंटन के पश्चात् अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को मांग पत्र व नोटिस जारी किये गये कि वे वादगत् भूमि के बाबत् बकाया किश्तें राशि 10240/— रूपये जमा करावें। अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि के बाबत् बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई। इसी क्रम में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के संबंध में संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट भी प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि अपीलांट द्वारा बकाया किश्तें जमा नहीं करवाई गई है तथा ना ही अपीलांट मौके पर आबाद है।

(4) आवंटन नियमों में यह स्पष्ट रूप से अभिलिखित है कि आवंटी को निर्धारित समयावधि में बकाया राशि जमा करवाई जानी अपरिहार्य है

तथा इसके साथ—साथ ही काश्तकार को किसी भी भूमि का आवंटन इस आधार पर किया जाता है कि वह मौके पर उपस्थित होकर आबाद होते हुए काश्त करें। संबंधित तहसलीदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि अपीलांट मौके पर उपस्थित होकर काश्त प्रारम्भ नहीं की गई है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों की अवहेलना की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट आवंटन कराने का इच्छुक नहीं रहा है। अदालत मातहत द्वारा बकाया किश्तों की राशि जमा नहीं करवाने व मौके पर उपस्थित होकर काश्त नहीं करने के आधार पर आवंटन सलाहकार समिति की राय से अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र सही खारिज किया है तथा खारिज की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की थी। जो विधि सम्मत है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 25—03—1998 बहाल रखा जाता है।

9. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर